भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4108
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- हिंगोली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में नई सिंचाई परियोजनाएं

4108. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिलः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का हिंगोली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए किसी नई सिंचाई परियोजना को मंजूरी देने का विचार है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के दावों के निपटान की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का हिंगोली क्षेत्र में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अनुदान, प्रशिक्षण कार्यक्रम या योजनाएं शुरू करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का हिंगोली क्षेत्र में किसानों को ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत राजसहायता प्रदान करने में होने वाली देरी को दूर करने के लिए कोई विशेष योजना लागू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत ऊपर पेनगंगा परियोजना से यवतमाल और नांदेड़ जिलों के अलावा हिंगोली जिले को भी लाभ मिल रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 41,571 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 12,579 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र विकसित किया गया है।

(ख): उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत किसानों को सहायता देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रसार और सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए डेटा के एकल स्रोत के रूप में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) का विकास। किसानों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए किसानों का प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन भी किया जाता है।

ii. दावा संवितरण प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करने के लिए, दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए 'डिजिक्लेम मॉड्यूल' नामक एक समर्पित मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। भुगतान में देरी होने पर बीमा कंपनी पर 12% जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

iii. किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस में जिला/राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का प्रावधान किया गया है।

iv. कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) विकसित की गई है और एक टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है तथा उसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और निर्धारित समय के भीतर उनका समाधान किया जा सके।

v. सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज/फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) के आंकड़ों को एकत्रित करना और समय पर निपटान के लिए एनसीआईपी पर अपलोड करना।

(ग) : महाराष्ट्र राज्य सहित परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। पीकेवीवाई योजना जैविक किसानों को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और मार्केटिंग तक शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, जैविक क्लस्टरों में 3 वर्षों में 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों को जैव उर्वरकों सहित ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए, 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए, 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण के लिए और 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए प्रदान किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) : प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना वर्ष 2015-16 से हिंगोली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, लघु एवं सीमांत किसानों तथा अन्य किसानों को इकाई लागत के क्रमशः 55% और 45% की दर से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र राज्य सरकार हिंगोली क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त टॉप-अप सब्सिडी भी प्रदान कर रही है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) के अंतर्गत राज्य को 483.29 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

****